प्रेस विज्ञप्ति

11.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स रोमेश पावर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीपीएल) और अन्य के मामले में जयपुर स्थित 7 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 09.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई।

ईडी ने सीबीआई, जयपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मेसर्स रोमेश पावर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीपीपीएल) और उसके निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स आरपीपीपीएल ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 17.5 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लिया था, हालांकि यह एनपीए हो गया था और बैंक के बकाया को आरोपी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों के माध्यम से व्यक्तिगत और संबंधित पक्ष के लाभ के लिए निकाल लिया गया था या डायवर्ट कर दिया गया था।

ईडी की जाँच और तलाशी अभियान से पता चला कि, बिजली के केबल के निर्माण और बिक्री में लगी मेसर्स आरपीपीपीएल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित, स्टॉक/बिक्री के बढ़े हुए आँकड़े और बोनस शेयर जारी करने के झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र से धोखाधड़ी से बढ़ी हुई ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं। निदेशकों ने एक आपराधिक षडयंत्र के तहत अनधिकृत खातों के माध्यम से धन का गबन किया, गिरवी रखे गए स्टॉक को समाप्त किया और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 10 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया। इसके अलावा, लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न संपत्तियों और सावधि जमाओं में निवेश के ज़रिए अपराध की आय को अन्यत्र भेजने से संबंधित दस्तावेज़ भी बरामद किए गए। इसके अलावा, कुछ बैंक खाते भी ज़ब्त कर लिए गए।

आगे की जाँच जारी है।